बिरमाराम V/s गोपालराम 22/20

पेश हो।

01/9/20

अजार/पक्षकाराम के अधिवक्ता
कोरोना / लॉकडाउन
पीठासीन अधिकारी जो सिटिंग पी/अवकाश पर चल रहे हैं, इसलिए प्रकरण [illegible] के समक्ष दिनांक 7/9/20 को पेश करें

7/9/20: पक्षकार उप॰ साक्ष्य वादी में शपथपत्र गवाह गोपालराम, मुनाराम, बिरमाराम के पेश हुए तथा साथ में पक्षकार के मध्य हुआ राजीनामा पेश हुआ जो बाद तस्दीक शा॰ कि॰ किया गया वकील वादी ने और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है अतः साक्ष्य वादी बंद की जाती है तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। बहस पक्षकार सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/9/20 को पेश हो।

गोपालराम

मुनाराम

बिरमाराम

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

17/9/20: पक्षकार उप॰ वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। मिसल में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल है। पत्रावली अपने नम्बर से दाखिल रिकार्ड हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 22/2020

वादी –

1. बीरमाराम पुत्र गोपालराम
2. मुनाराम पुत्र गोपालराम जातियान–जाट, निवासीगण–गडरियां तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गोपालराम पुत्र गणेशराम
2. कमादेवी पुत्री गोपालराम जाति–जाट निवासीगण–गडरियां तहसील–जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादी की ओर से श्री हनुमानराम मण्डा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मुनीराम मालोदिया
प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 17/09/2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 एक परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के पुश्तैनी बडेर के खेत जिनपर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 2 सुविधानुसार काश्त करते आ रहे है, ग्राम किशनपुरा तहसील जायल में खसरा नं. 1235, 80, 82 के रूप में स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने आपसी रजामंदी से वाद के पेरा संख्या 2 (क व ख) अनुसार बंटवारा कर काबिज काश्त हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुनीराम मालोदिया ने वकालात नामा व ईकबालिया जवाब दावा पेश किया, तथा दौराने वाद ही पक्षकारान् द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल 17/9/2020

(तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गवाह बीरमाराम, मुन्नाराम, गोपालराम के प्रस्तुत किये गये जिस पर गवाह के बयान कलमबद्ध किये गये। जो शामिल पत्रावली है। दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम किशनपुरा तहसील जायल संवत् 2073–2076 खाता संख्या 51/40 प्रदर्श–1 की पेश की। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1, से 2 द्वारा पत्रावली में इकबालिया जवाब व राजीनामें में वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 2 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब व राजीनामें पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वाद में संयाजित है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पैरा संख्या 2 के अनुसार खसरा नं. 1235 में से ही खातेदारी घोषणा एवं बंटवारा चाहा है। गवाहान द्वारा किये गये बयान से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् द्वारा वाद में बताये अनुसार मौखिक विभाजन हो रखा है तथा उसी के अनुसार कब्जे काश्त होना प्रस्तुत इकबालिया जवाब व राजीनामा से सम्पुष्ट होता है। फलतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये वाद वादीगण न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार जाकर डिक्री किया जाना न्यायालय मत में उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम गडरियां तहसील जायल के खसरा नं. 1235 के संबंध में वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. वादी बीरमाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा किशनपुरा तहसील जायल के खसरा नं. 1235 रकबा 3.6260 हैक्टेयर में से 1.8130 हैक्टैयर पूर्वी भाग घोषित किया जाता है।

(स.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 22 / 2020
बिरमाराम बनाम गोपालराम वगैरह

2. वादी संख्या 2 मुनाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम किशनपुरा तहसील जायल के खसरा नं. 1235 रकबा 3.6260 हैक्टेयर में से 1.8130 हैक्टैयर पश्चिमी भाग घोषित किया जाता है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तद्नुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

17/09/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 17/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

17/09/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 22/2020
बिरमाराम बनाम गोपालराम वगैरह

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 22/2020

वादी –

1. बीरमाराम पुत्र गोपालराम
2. मुनाराम पुत्र गोपालराम जातियान–जाट, निवासीगण–गडरियां तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गोपालराम पुत्र गणेशराम
2. कमादेवी पुत्री गोपालराम जाति–जाट निवासीगण–गडरियां तहसील–जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादी की ओर से श्री हनुमानराम मण्डा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मुनीराम मालोदिया
प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार उपस्थित।

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1, 2 हाजरी मुन्नीराम मालोदिया प्रतिवादी संख्या 03 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

1. वादी बीरमाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा किशनपुरा तहसील जायल के खसरा नं. 1235 रकबा 3.6260 हैक्टेयर में से 1.8130 हैक्टैयर पूर्वी भाग घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 मुनाराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम किशनपुरा तहसील जायल के खसरा नं. 1235 रकबा 3.6260 हैक्टेयर में से 1.8130 हैक्टैयर पश्चिमी भाग घोषित किया जाता है।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 22/2020
बिरमाराम बनाम गोपालराम वगैरह

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व बारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/09/2020 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner